

५०

67

निगरानी अपील प्र.क्रं..... / 18

प्रस्तुति दिनांक.....15.12.18.....

निगरानी-3243/2018/इन्दौर/भूरा

माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र. केम्प इन्दौर के समक्ष

1. यशवंतसिंह उर्फ भुरु पिता केसरसिंह

2. अशोक उर्फ शौकिन पिता केसरसिंह

निवासी- ग्राम खराड़िया तह. व जिला इन्दौर म.प्र. -प्रार्थी/निगरानीकर्तागण

विरुद्ध

1. टीकाराम पिता रामसिंह

निवासी- ग्राम उबलचौकी तह. व जिला इन्दौर

2. दिलीप पिता धनसिंह

3. छोटुसिंह पिता धनसिंह

4. हीरालाल पिता रामसिंह

5. अंतरसिंह पिता रामसिंह


निवासी- ग्राम खराड़िया तह. जिला इन्दौर

---प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भूरा.संहिता

महोदय,

प्रार्थी द्वारा यह निगरानी श्रीमान नायब तहसीलदर महोदय, खुडैल जिला इन्दौर के राजस्व प्रकरण क्रमांक 03अ-12/17-18 में पारित आदेश दिनांक 2/04/2018 से असंतुष्ट होकर नियत समयावधि में प्रस्तुत की जा रही है:-



अविरत...2



5 PM

सी. सुधाकर
मा. प्रशासक इंदौर
15-12-18
8-37
15-18

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी/3243/2018/इंदौर/भूरा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17-10-2018	<p>आवेदक की ओर से श्री तुषार दुबे अधिवक्ता उपस्थित । अनावेदक अधिवक्ता श्री जयंत पटवा उपस्थित । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायलय के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0भूराजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर को भेजा जाता है। आवेदकपक्ष दिनांक 17-12-2018 को कलेक्टर जिला इंदौर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हो ।</p> <p> अध्यक्ष</p> <p> (मनोज गोयल) अध्यक्ष</p>	